बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो04/पी0-73/2017 4043 /यो0वि0,पटना,दिनांक 21 अगस्त,2018

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा
अपर निदेशक

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग (संसदीय कार्य, वाणिज्य कर, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, राजस्व एवं भूमि सुधार, लघु जल संसाधन तथा जल ससंाधन विभाग को छोड़कर), बिहार, पटना ।

विषय: **दिनांक 10.07.2017 को राज्यों के मुख्य सचिव की सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यशाला की कार्यवाही तथा दिनांक 09.08.2017 को माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के बिन्दुओं के अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सबंध में ।**

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 5704 दिनांक 12.10.2017, पत्रांक 266 दिनांक 17.01.2018, पत्रांक 1774 दिनांक 09.04.2018, पत्रांक 2347 दिनांक 11.05.2018, पत्रांक 3076 दिनांक 25.06.2018, पत्रांक 3283 दिनांक 05.07.2018 एवं पत्रांक 3558 दिनांक 23.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक M-12017/3/2017-S.Co दिनांक 14.06.2018 के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिव की **दिनांक 10.07.2017 को सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यशाला की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन (Action Taken Report) उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है** ताकि राज्यों के मुख्य सचिव की आगामी राष्ट्रीय कार्यशाला में विचारार्थ रखा जा सके।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के द्वारा दिनांक 10.07.2017 को राज्यों के मुख्य सचिव की सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यशाला की कार्यवाही तथा दिनांक 09.08.2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग दिनांक 10.07.2018 तक की गयी थी, जो सम्प्रति अप्राप्त है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार वर्मा)
अपर निदेशक